रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(प्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 नवम्बर, 1979/12 कार्तिक, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

आदेश

शिमला-१७१००२, २९ अक्तूबर, १९७९

संख्या एफ०डी०एस०डी०(६)(६)१/७८.—इस विभाग के आदेश संख्या एफ०डी०एस०डी०(६)(६)१/७८, दिनांक ११-१०-७९ जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश संख्या जी०एस०आर०(५३६)इ/इ०एस०एस०कोम०/सुगर, दिनांक १२-९-७९ को हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया था का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार के आदेश संख्या जी०एस०आर० ५४६ (ई) इ०एस०एस०/कोम/सुगर, दिनांक २०-९-१९७९ को पुनः सामान्य जनता की सूचना के लिये हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

हस्ताक्षरित,
सचिव।

2000-राजपत्र-3-11-79—1014. (2485) मूल्य : 29 पैसे।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1979

G.S.R. 546 (E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Control) Order, 1979, namely:—

1. This Order may be called the Sugar (Price Control) Amendment Order, 1979,

2. In the Sugar (Price Control) Order, 1979 in Schedule I, in the Note, for Item (*i*), the following shall be substituted, namely:—
"(1) the duty of excise, the additional duty of excise in lieu of Sales tax and special duty of excise;".

[No. 1-33/79-SPY (Desk-II]

C. N. RAGHAVAN,
Joint Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, ३० अक्तूबर, १९७९

सं० गृह (ए)-एफ(१३)२/७८.—यतः भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का पहला एकट) के अन्तर्गत भारतीय संघ के लिये भूमि अर्जन करने के केन्द्रीय सरकार के कार्य भारतीय विधान के अनुच्छेद २५८ के खण्ड (१) के अन्तर्गत भारत सरकार, गृह मन्त्रालय ने अधिसूचना संख्या एफ० २५(५)५७/१/११, दिनांक २० फरवरी, १९५७ जारी कर राज्य सरकार को सौंप दिये हैं;

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि संघीय कार्य के लिये सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः आसूचना ब्यूरो जिला मुख्यालय के लिये आवास बनाने हेतु, भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतेव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, को जानकारी के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्य करने के लिये सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी ऐसा हित बद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कोई कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, केलांग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विनिर्देश

जिला	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्र		
			बीघा	बिसवा	बिसवांसी
लाहौल-स्पिति	केलांग कोठी कुमरांग ।	८११	१	१३	—
		कुल जोड़ ..	१	१३	—

एल० एच० तोच्छांग,
मुख्य सचिव ।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(C-SECTION)

NOTIFICATION

Simla-171002, *the 29th October*, 1979

No. GAD(PA)-5(E)2/77-CC.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accord sanction to the extension of the period of submission of the final report to the State Government by Shri J.C. Malhotra, Emergency Excesses Inquiry Authority, appointed *vide* Resolution No. GAD (PA)-5(E)-2/77-CC, dated the 25th July, 1978, uptil 31st December, 1979.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord sanction to the extension of the period uptill 31st December. 1979 for the submission of the final report to the State Government by Shri P. P. Srivastava Emergency Excesses Inquiry Authority appointed *vide* Resolution No. GAD(PA)-5(E)-2/77-CC, dated the 28th August, 1978,

3. This Notification is in continuation is of this Department notification No GAD(PA)-5(E)-2/77-CC, dated 29-9-78, 10-1-79, 24-2-79 and 18-5-79.

L. HMINGLIANA TOCHHAWNG,
Chief Secretary

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, ३१ अक्तूबर, १९७९

सं पी० सी० एच-एच० ए० (४)-३०/७६-II.—हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थानीय स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एल०एस०जी-ए० (४) २/७५, दिनांक २१-९-७९ जिसके अनुसार दौलतपुर

चौक, ज़िला ऊना को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, के फलस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-धारा (२) धारा (४) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम १९६८ (१९७० का १९वां) अधिनियम) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम दौलतपुर चौक की ग्राम सभा दौलतपुर, विकास खण्ड गगरेट, ज़िला ऊना से सहर्ष अपवर्जित करते हैं जिसे अब अधिसूचित क्षेत्र दौलतपुर में सम्मिलित किया गया है। प्रधान, उप प्रधान तथा पंच जो ग्राम दौलतपुर चौक से ग्राम पंचायत दौलतपुर के लिये निर्वाचित हुए हैं अपने पद पर नही रहेंगे क्योंकि वे अब ग्राम सभा दौलतपुर चौक के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ की उप-धारा (5) धारा ९ के अधीन प्रधान, उप-प्रधान तथा पंच नहीं है ।

शिमला, ३१ अक्तूबर, १९७९

संख्या पी० सी० एच-एच० ए-(४)-३०/७६- I.--हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थानीय स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एल० एस०जी० ए० (४)२/७५, दिनांक २१-९-१९७९ जिसके अनुसार गगरेट, ज़िला ऊना को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, के फलस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-धारा (२) धारा (४) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ (१९७० का १९वां अधिनियम) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम गगरेट को ग्राम सभा गगरेट, विकास खण्ड गगरेट, ज़िला ऊना से तथा ग्राम कलोह को ग्राम सभा कलोह, विकास खण्ड गगरेट ज़िला उना से सहर्ष अपवर्जित करते हैं जिन्हें अब अधिसूचित क्षेत्र गगरेट में सम्मिलित किया गया है । प्रधान, उप-प्रधान तथा पंच जो ग्राम गगरेट से ग्राम पंचायत गगरेट के लिये तथा ग्राम कलोह से ग्राम पंचायत कलोह के लिये निर्वाचित हुए हैं अपने पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि वे अब ग्राम सभा गगरेट तथा ग्राम सभा कलोह के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ की उप-धारा (५) धारा ९ के अधीन प्रधान, उप-प्रधान तथा पंच नहीं हैं।

आदेश से,
अनंत पाल,
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।